<u>राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की दिनांक 23/05/2017 को आयोजित 133वीं बैठक के कार्यवृत्त</u>

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 133वीं बैठक कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा श्री अशोक कुमार गर्ग की अध्यक्षता में आयोजित की गई. बैठक में श्री कुंजी लाल मीणा आयुक्त उद्योग एवं शासन सचिव, सीएसआर राजस्थान सरकार, श्री हेमंत गैरा, शासन सचिव, आपदा प्रबंधन राजस्थान सरकार, श्री विक्रम सिंह चौहान, विशिष्ठ शासन सचिव राजस्व, राजस्थान सरकार, श्री राजेश शर्मा, महापंजीयक, मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग, राजस्थान सरकार, श्री पी.के. जैना, मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, श्री एच.एस.खितोलिया, महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक, श्रीमति सरिता अरोरा, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, श्री आर.के.थानवी, महाप्रबन्धक, नाबार्ड, श्री एन.सी. उप्रेती, संयोजक, एस.एल.बी.सी. तथा राज्य सरकार एवं भारत सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, विभिन्न बैंकों, इंडिया पोस्ट, बीमा कम्पनियों व वित्तीय संस्थाओं के कार्यपालकों / अधिकारियों द्वारा सहभागिता की गयी. **(संलग्न सूची के अनुसार)**

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने सर्वप्रथम समिति के अध्यक्ष, मंचासीन गणमान्य सदस्यों एवं उपस्थित अन्य सभी सदस्यों का स्वागत किया तथा समिति के अध्यक्ष महोदय को उद्बोधन हेतु अनुरोध किया.

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के अध्यक्ष तथा कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने मंचासीन गणमान्य सदस्यों एवं उपस्थित अन्य सभी सदस्यों का स्वागत किया तथा अपने उद्बोधन में एस.एल.बी.सी. एवं सभी हितग्राहियों के द्वारा राजस्थान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की.

उन्होनें बताया कि देश की जीडीपी में राजस्थान राज्य का प्रमुख योगदान है जो करीब 7.67 लाख करोड़ है. राज्य के आर्थिक विकास में कृषि का प्रमुख योगदान है एवं इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा रोजगार उत्पन्न होता है तथा कृषि के अलावा एमएसएमई एवं पर्यटन का भी महत्वपूर्ण योगदान है. देश के अन्य राज्यों के अपेक्षा राजस्थान की अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि हो रही है औद्योगिक, कृषि एवं अन्य क्षेत्रों में विकास में गति लाने के लिए पिछले कुछ वर्षो में राज्य सरकार द्वारा कई पहल/प्रयत्न किए हैं जिसमें से प्रमुख वर्ष 2016-17 में किये गए ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (GRAM) है. ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट में कृषि क्षेत्र की नई तकनीक से राजस्थान की जनता को रूबरू करवाना एवं राजस्थान में उपलब्ध संभावनाओं (Potential) में निवेश हेतु पूरे विश्व से कृषि क्षेत्र की कंपनियों एवं कृषकों को आमंत्रित किया

गया. वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों में राजस्थान में बैंकों की प्रगति काफी अच्छी रही है एवं विभिन्न पैरामीटर पर उपलब्धि बेंचमार्क से ऊपर रही है.

अध्यक्षीय उद्बोधन के सार बिन्दु निम्नानुसार रहे:-

- आईएमएफ़ के अनुमान के अनुसार 2018 की वैश्विक GDP 3.8% रहने की संभावना है.
- उन्नत/विकसित अर्थव्यवस्थाओं में अर्थव्यवस्था वृद्धि की संभावनाओं 1.6% से बढ़कर 2.0% होने की एवं उभरती अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि 4.1% से 4.8% होने की संभावना है.
- इन सभी घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए, भारत विश्व आर्थिक परिदृश्य में एक 'उज्ज्वल स्थान' के रूप में खड़ा हैं और वर्ष 2016-17 के आर्थिक सर्वे के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2017-18 में देश की अर्थव्यवस्था की विकास दर 6.75% से 7.50% रहने की संभावना है.
- उपाध्यक्ष, नीति आयोग, भारत सरकार ने एक व्यक्तव्य में कहा है कि नीति आयोग द्वारा एक त्रि-वर्षीय योजना बनायी गयी है जो उद्योगों को बढ़ावा देगी एवं अन्य क्षेत्रों यथा कृषि, शिक्षा एवं स्वास्थ्य में सुधार लाकर विकास की गति को भी तेजी देगी. जो वर्ष 2017-18 से प्रारम्भ होने की संभावना है.
- नेस्कॉम (NASSCOM) की रिपोर्ट के अनुसार देश में डिजिलिटीकरण के तहत वर्ष 2020 तक इंटरनेट सेवा उपभोक्ता की संख्या लगभग 730 मिलियन होने की संभावना है.
- देश की आम जनता तेजी से "लेस-केश समाज" बनने की ओर अग्रसर हो रही है, इसके लिए उनके द्वारा मोबाइल बैंकिंग, कार्ड यथा डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड का प्रयोग एवं प्रीपेड instrument का प्रयोग मुख्यतः वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए किया जा रहा है. भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त आकड़ों के अनुसार Mobile Banking Transacation पिछले वर्ष 38.65 करोड़ थे जो इस वर्ष ढाई गुना बढ़कर 97.68 करोड़ हो गये है.
- भारतीय कृषकों ने प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रतिबद्दता दर्शाई है, जिसके परिणामस्वरूप खरीफ एवं रबी के बुवाई क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ोतरी दर्ज करते हुए बम्पर अनुमानित पैदावार 273 मिलियन टन रही है. इस वर्ष भी मानसून सामान्य रहने की संभावना के मद्देनजर कृषि क्षेत्र में 4.1% की दर से वृद्धि होने की आशा की जा रही है.
- भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 के लिए ग्राउंड लेवल क्रेडिट के लक्ष्य राशि रू 10 लाख करोड़ रखे गयी है.

- भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आरंभ की गयी है जिसमें वर्ष 2016-17 में 30%, 2017-18 में 40% एवं 2018-19 में 50% फ़सली क्षेत्र कवरेज किये जाने का लक्ष्य रखा है.
- 31 मार्च 2017 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 11.75% के साथ कुल जमाएं 108.05 लाख करोड़ तथा कुल अग्रीम वर्ष दर वर्ष वृद्धि नगण्य वृद्धि 5.08% के साथ कुल ऋण 78.81 लाख करोड़ रहे है. अग्रीमों में यह वृद्धि वर्ष 1953-54 के बाद सबसे कम रही है.
- भारत सरकार द्वारा पिछले एक वर्ष में देश के आर्थिक सुधारों के लिए किये गये कार्य यथा GST बिल एवं विमुद्रीकरण देश हित में ऐतिहासिक निर्णय है. इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सहयोगी बैंकों का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विलय भी महत्वपूर्ण निर्णय है.
- भारत सरकार बैंकिंग क्षेत्र में दबावग्रस्त आस्तियों के शीघ्र समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है. इस हेतु भारत सरकार द्वारा निम्न कदम उठाए गए है:-
    - बैंकिंग रेग्युलेशन (अमेंडमेंट) ऑर्डिनेंस, 2017 में दो नई धाराएं 35 एए और 35 AB जोड़ी/प्रख्यापित की गई है जिसमें भारत सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को अधिकृत करते हुए कहा है कि वह बैंकिंग कंपनियों को निर्देशित करें कि जहां आवश्यकता है उन विशिष्ट दबावग्रस्त आस्तियों के निपटान हेतु Insolvency resolution process प्रारम्भ की जाए.
    - भारतीय रिजर्व बैंक को और अधिक सशक्त करते हुए यह शक्तियां भी प्रदान की गयी है कि दबावग्रस्त आस्तियों में सुधार करने हेतु वह बैंकिंग कंपनियों को समिति निर्माण, सदस्यों का नामांकन इत्यादि के लिए निर्देशित कर सकता है.
    - उपरोक्त भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों से मुख्यतः कॉन्सॉर्टियम अथवा विभिन्न बैंकों द्वारा प्रदत्त अग्रिमों के cases में प्रभावी भूमिका अदा करेगा. इन cases में भारतीय रिजर्व बैंक हस्तक्षेप करते हुए कठोर निर्णय लेने हेतु प्राधिकृत किया गया है.
    - हाल ही में Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), 2016 में नया परिवर्तन आया है जिससे नियत समय में ऋण चूककर्ता के विरूद्ध कार्यवाही को अंजाम दिया जा सके.
    - गैर निष्पादित आस्तियों की प्रभावी वसूली के लिए SARFAESI एवं Debt Recovery Acts में भी संशोधन किया गया है.
    - किसी भी योजना के अंतर्गत दिये गए ऋण के चूककर्ता के विरूद्ध कार्यवाही नियत समायावधि प्रभावी कार्यवाही की जानी चाहिए.

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने राज्य के मार्च 17 तिमाही के विभिन्न पैरामीटर्स यथा कुल जमाओं, कुल अग्रिमों, कृषि अग्रिमों, सीमांत एवं लघु कृषकों को ऋण, साख जमा अनुपात इत्यादि के बारे में बताया एवं उक्त सभी पैरामीटर्स पर एजेंडा के कार्यबिन्दु के साथ चर्चा करने की सलाह दी. अंत में राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सदस्य बैंक व अन्य हितधारकों के आपसी सहयोग व समन्वय से राज्य के सतत विकास प्रक्रिया के उद्देश्यों की प्राप्ति पर धन्यवाद किया.

तत्पश्चात अध्यक्ष महोदय की अनुमति से **सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति श्री आर.के.मीना** ने बैठक के विभिन्न कार्यवाही बिन्दु पर प्रस्तुतीकरण आरंभ किया:

एजेण्डा क्रमांक -1 (1.1) विगत **132** वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी.

एजेण्डा क्रमांक -1 (1.2) **132** वीं बैठक के कार्यवाही बिन्दु:-

<u>ऑन-साईट ए.टी.एम .स्थापना</u>

अध्यक्ष, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने अवगत करवाया कि बैंक के द्वारा 42 ऑन साइट एटीएम स्थापित कर दिये गए है. बैंक की 8 और शाखाओं में ऑन साइट एटीएम की स्थापना का प्रस्ताव प्रयोजक बैंक को प्रेषित कर दिया गया है तथा जून 2017 तक शाखाओं में एटीएम की स्थापना किए जाने से भी सूचित किया है.

(कार्यवाही: बीआरकेजीबी)

राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक ने अवगत करवाया कि समस्त 35 एटीएम की स्थापना हेतु कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है एवं सभी 35 एटीएम जून 2017 तक स्थापित कर दिये जाएंगे.

(कार्यवाही: आरएमजीबी)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि अन्य बैंकों ने अपनी सभी शाखाओं में ऑन-साईट ए.टी.एम. स्थापना करने के बिन्दु को अनुपालनार्थ नोट किए जाने से सूचित किया है. मार्च 2017 तक राज्य में 7518 बैंक शाखाओं के सापेक्ष में 4819 ऑन-साईट एटीएम की स्थापना बैंकों द्वारा की जा चुकी है जिसका विस्तृत विवरण बैठक के कार्यसूची विवरण में दिया गया है. साथ ही उन्होने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार बैंक शाखा के 500 मीटर की परिधि में स्थापित एटीएम को भी ऑनसाइट एटीएम ही माने जाने से सूचित किया.

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सभी बैंको से अनुरोध किया कि बैंक अपनी सभी शाखाओं में ऑन-साईट ए.टी.एम. स्थापित करने की कार्ययोजना को 15.06.2017 तक एसएलबीसी कार्यालय को भिजवाएं. **(कार्यवाही: नियंत्रक संबन्धित बैंक, राजस्थान)**

<u>आरसेटी (RSETI) को भूमि आवंटन</u>

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि वर्तमान में 35 आरसेटी/रूडसेटी परिचालन में हैं जिनमें से 11 आरसेटी के भूमि आवंटन प्रकरण राज्य सरकार के स्तर से लंबित चल रहे हैं. निम्नलिखित भूमि आवंटन प्रकरणों पर समुचित कार्यवाही कर जल्द निस्तारण करने हेतु राज्य सरकार से अनुरोध किया गया.

आरसेटी, अलवर (PNB): पंजाब नेशनल बैंक ने सूचित किया है कि आरसेटी, अलवर हेतु सचिव, यू. आई. टी. अलवर ने प्लॉट न. 3, वैशाली नगर, अलवर मे 2500 वर्ग मीटर भूमि चिन्हित की है एवं सचिव, यू. आई. टी. अलवर के पत्रांक 20591/17 दिनांक 9-1-2017 से भूमि आवंटन की स्वीकृति हेतु प्रकरण को संयुक्त शासन सचिव, ग्रुप-2, शहरी निकाय विभाग राजस्थान सरकार को भेजा है. वर्तमान में उक्त प्रकरण संयुक्त शासन सचिव, ग्रुप-2,शहरी निकाय विभाग राजस्थान सरकार के स्तर पर विचाराधीन है.

(कार्यवाही: शहरी निकाय विभाग एवं ग्रामीण विकास, राजस्थान सरकार)

आरसेटी, चित्तौड़गढ़ (BOB): सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि राज्य सरकार के द्वारा सूचित किया है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.01.2017 (रिट संख्या 1554/2004) के अनुसार भूमि उपयोग परिवर्तन प्रकरण में न्यूनतम सड़क की चौड़ाई में शिथिलता प्रदान नहीं की जा सकती है अतः आरसेटी संस्थान को वैकल्पिक भूमि आवंटित करने हेतु जिला प्रशासन को निर्देश दिये जाने हेतु राज्य सरकार से अनुरोध किया. **(कार्यवाही: शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं विशिष्ट शासन सचिव, राजस्व, राजस्थान सरकार)**

आरसेटी, सवाईमाधोपुर (BOB) : **सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने बताया कि पूर्व में आवंटित भूमि पर माननीय न्यायालय से स्थगन आदेश होने के कारण निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है. वैकल्पिक भूमि के आवंटन हेतु जिला प्रशासन से अनुरोध कर दिया गया है. कृपया आरसेटी संस्थान को वैकल्पिक भूमि आवंटित करने हेतु जिला प्रशासन को निर्देश दिये जाने हेतु राज्य सरकार से पुनः अनुरोध किया.

(कार्यवाही: शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं विशिष्ट शासन सचिव, राजस्व, राजस्थान सरकार)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि जिला चुरू (BOB), धौलपुर (PNB), पाली (SBBJ), जैसलमेर (SBBJ), जालौर (SBBJ), बाड़मेर (SBBJ), जोधपुर (ICICI Bank), श्रीगंगानगर (OBC) के आरसेटी संस्थानों की भूमि आवंटन प्रकरणों का निस्तारण हेतु दिनांक 27.04.2017 को आयोजित स्टेट लेवल कमिटी ऑन आरसेटी (SLCR) की बैठक में हुए निर्णयानुसार ग्रामीण विकास विभाग/ आरजीएवीपी, राजस्थान सरकार के संयोजन से भूमि आवंटन प्रकरणों के निस्तारण हेतु एक विशेष बैठक आयोजित किया जाना प्रस्तावित है उक्त बैठक में नगरीय विकास विभाग, स्थानीय निकाय विभाग एवं राजस्व विभाग के उच्च अधिकारियों को आमंत्रित किया जावेगा. साथ ही ग्रामीण विकास विभाग/आरजीएवीपी, राजस्थान सरकार से अनुरोध किया कि उक्त बैठक का शीघ्र आयोजन करें ताकि लंबित भूमि आवंटन प्रकरणों का निस्तारण हो सकें.

(कार्यवाही: ग्रामीण विकास, राजस्थान सरकार एवं प्रायोजक बैंक)

विशिष्ट शासन सचिव, राजस्व, राजस्थान सरकार ने बताया कि राज्य में आरसेटी के भूमि आवंटन के लंबित प्रकरणों में से 6 प्रकरण स्वायत्त शासन विभाग (LSG), राजस्थान सरकार, 4 प्रकरण नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार एवं 2 प्रकरण यथा सवाई-माधोपुर एवं भरतपुर राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार से संबन्धित है. राजस्व विभाग से संबन्धित प्रकरणों में से भरतपुर में पूर्व में ही भूमि आवंटित की जा चुकी है एवं जिला कलेक्टर, सवाई-माधोपुर को उक्त प्रकरण के निस्तारण हेतु हमारे द्वारा निर्देश प्रदान कर दिये गए है. अन्य प्रकरणों के निस्तारण के लिए उन्होने अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित करने का सुझाव दिया.

विशिष्ट शासन सचिव, राजस्व, राजस्थान सरकार ने भूमि आवंटन के लंबित प्रकरणों के निस्तारण हेतु एसएलबीसी द्वारा किए गए निरंतर/नियमित फोलोअप की भी प्रशंसा की.

(कार्यवाही: शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान सरकार एवं एसएलबीसी राजस्थान)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि रोजगार उन्मुख आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नेशनल ऐकेडमी फॉर आरसेटी NAR ने 59 नये कार्यक्रमों को चिन्हित किया है एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा उक्त कार्यक्रमों को अनुमोदित कर दिया है. वर्ष 2017-18 से सभी आरसेटी संस्थान नये कार्यक्रमों के अनुरूप प्रशिक्षण उपलब्ध करवायेंगे. इस एटीआर की अनुपालना होने के चलते सदन ने सर्वसम्मिति से इस बिन्दु को कार्यसूची से हटाने के लिए अनुमति प्रदान की.

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि RSETI/RUDSETI के प्रशिक्षणार्थियों के ऋण आवेदन पत्र बिना किसी ठोस कारण के बैंक शाखाओं के स्तर से नहीं लौटाए जाने के निर्देशों की अनुपालना में एसएलबीसी की सलाह को पुनः दोहराया गया कि ऋण आवेदन पत्रों को अस्वीकृत करने के निर्णय का विवेकाधिकार शाखा प्रबन्धक से एक स्तर ऊपर यथा नियन्त्रकों के स्तर पर किया जाना चाहिए. इस एटीआर की अनुपालना होने के चलते सदन ने सर्वसम्मिति से इस बिन्दु को कार्यसूची से हटाने के लिए अनुमति प्रदान की.

<u>वसूली (PDR Act)</u>

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि बैकों के लिए तेजी से बढ़ता हुआ NPA चिंता का विषय है एवं प्रायोजित कार्यक्रमों में सरकार से वसूली में सहयोग की अपेक्षा की जाती है. राज्य सरकार से अनुरोध है कि इस प्रकार के सभी ऋणों को राजस्थान पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1952 में शामिल किया जाये ताकि बैंकों की वसूली में सुधार हो सके तथा आगे नये ऋण देने में उन्हे प्रोत्साहन मिल सकें. राज्य सरकार से अपेक्षित कार्यवाही हेतु पुनः अनुरोध है.

विशिष्ट शासन सचिव, राजस्व, राजस्थान सरकार ने बताया कि उक्त मुद्दे को पूर्व में भी सरकार के समक्ष रखा गया था लेकिन सरकार द्वारा इस मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं लिया. उन्होनें ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार से सहयोग की अपील करते हुए उक्त प्रकरण को सरकार के समक्ष दोबारा प्रभावी रूप से रखने हेतु आश्वासन दिया.

(कार्यवाही: राजस्व विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार)

<u>साख जमा अनुपात (CD Ratio)</u>

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि जिला डूंगरपुर, राजसमंद एवं सिरोही का दिसंबर 2017 का साख जमा अनुपात भारतीय रिजर्व बैंक के बेंच मार्क 40% से कम होने के कारण साख जमा अनुपात बढाने की कार्यवाही हेतु विशेष उप समिति का गठन करने के एसएलबीसी द्वारा निर्देश प्रदान किये गये थे

- उपरोक्त की अनुपालना में अग्रणी जिला प्रबन्धक, डूंगरपुर के संयोजन से जिले में कार्यरत बैंकों के साख जमा अनुपात बढाने की कार्यवाही हेतु विशेष उप समिति की बैठक दिनांक 17.04.2017 को आयोजित की गई जिसके मुख्य सुझाव निम्नलिखित हैं
- छोटे छोटे ऋण को बढ़ावा देना
- औद्योगिक ऋण को बढ़ावा देना

- कृषि ऋण के तहत स्केल ऑफ फ़ाइनेंस में बढ़ोतरी करना
- सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लंबित आवेदन पत्रों का शीघ्र निस्तारण

➢ अग्रणी जिला प्रबन्धक, राजसमंद के संयोजन से जिले में कार्यरत बैंकों के साख जमा अनुपात बढाने की कार्यवाही हेतु विशेष उप समिति की बैठक दिनांक 21.04.2017 को आयोजित की गई थी. जिसके मुख्य सुझाव निम्नलिखित है:

- कृषि एवं कृषि से सम्बद्ध ऋण को बढ़ावा देना
- औद्योगिक एवं आधारभूत ऋण (Infrstucture Loan) को बढ़ावा देना
- स्थानीय उत्पादों को विक्रय करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार स्थापित करना

अग्रणी जिला प्रबन्धक, सिरोही से उक्त बैठक की सूचना अपेक्षित है.

(कार्यवाही: अग्रणी जिला प्रबन्धक, सिरोही)

जिला डूंगरपुर, राजसमंद एवं सिरोही का मार्च 2017 (दिसंबर 2017) का साख जमा अनुपात क्रमशः 34.19% (30.71%), 40.45% (33.77%) एवं 40.98% (36.91%) रहा है.

इस प्रकार जिला राजसमंद एवं सिरोही में मार्च 2017 का साख जमा अनुपात भारतीय रिजर्व बैंक के बेंचमार्क से थोड़ा ऊपर रहा है. डूंगरपुर जिले में गठित DCC की विशेष उप समिति द्वारा साख जमा अनुपात बढाने की कार्यवाही की निगरानी नियमित रूप से की जाए एवं राजसमंद एवं सिरोही जिले में त्रेमासिक DLRC बैठक में साख जमा अनुपात की विशेष निगरानी की जाएं.

(कार्यवाही: अग्रणी जिला प्रबन्धक, डूंगरपुर, राजसमंद एवं सिरोही)

<u>वार्षिक साख योजना (Annual Credit Plan)</u>

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि मार्च 2017 तक राज्य में कार्यरत बैंकों की वार्षिक साख योजना के लक्ष्य राशि रू 139144 करोड़ के सापेक्ष राशि रू 106159 करोड़ उपलब्धि रही है जो कि प्रतिशत में लक्ष्य का 76.29% है. पिछली तिमाही में ग्रामीण बैंकों एवं सहकारी बैंक की उपलब्धि अपेक्षानुरूप नहीं थी उनकी मार्च 2017 तक उपलब्धि निम्नानुसार है :

- बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वार्षिक साख योजना के लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि 76% रही है.
- राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक की वार्षिक साख योजना के लक्ष्यों के सापेक्ष में उपलब्धि 61.12% रही हैं.

- राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक की वार्षिक साख योजना के लक्ष्यों के सापेक्ष में उपलब्धि 49.01% रही हैं.

इस एटीआर की अनुपालना होने के चलते सदन ने सर्वसम्मिति से इस बिन्दु को कार्यसूची से हटाने के लिए अनुमति प्रदान की.

<u>वित्तीय समावेशन प्लान (FIP 2016-19)</u>

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि आरबीआई के निर्देशानुसार बैंकों के निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित वित्तीय समावेशन प्लान "अप्रैल 2016 से मार्च 2019" केवल बैंक ऑफ बड़ौदा, धनलक्ष्मी बैंक, आईडीबीआई, एसबीबीजे, बीआरकेजीबी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आरएमजीबी, एचडीएफ़सी बैंक, नैनीताल बैंक प्राप्त हुआ था एवं गत बैठक में 15 अप्रैल 2017 तक उक्त प्लान को प्रस्तुत करने के निर्देश दिये जाने के उपरांत पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया से ही वित्तीय समावेशन प्लान प्राप्त हुआ है.

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने शेष बैंकों से निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित वित्तीय समावेशन प्लान भारतीय रिजर्व बैंक एवं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति को अगले सप्ताह के अंत तक यथा 03.06.2017 तक प्रस्तुत करने का निर्देश दिये.

(कार्यवाही: शेष बैंकों के नियंत्रक, राजस्थान)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि 5000 से अधिक आबादी वाले बैंक रहित गांवो में डिजिटल शाखा खोलने के संबंध में राजस्थान में सर्वप्रथम बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा रज़ियासर मीठा त. सुजानगढ़ जिला चुरू में डिजिटल शाखा खोलना प्रस्तावित है

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने डिजिटल शाखा खोलने के मॉडल के बारे में विस्तृत विवरण देते हुए बताया कि डिजिटल शाखा खोलने के लिए लगभग 250 वर्ग फीट की जगह पर्याप्त है जिसमें चार स्वचालित मशीने रखी जाती है : 1. बचत खाता खोलने के लिए मशीन 2. नगदी जमा करने के लिए मशीन (Cash Recycler) 3. नगदी निकासी के लिए मशीन (ATM) 4. पास-बुक प्रिंटिंग मशीन. इस तरह की शाखा में एक अधिकारी उपलब्ध रहेगा जो ऋण संबन्धित जानकारी उपलब्ध करवाएगा. इस शाखा को चलाने में यदि व्यवहार्यता नहीं आती है तो उस शाखा को दूसरे स्थान पर भी स्थापित किया जा सकता है. साथ ही यह भी बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा पूरे भारत में 150 गाँव चिन्हित कर डिजिटल शाखा खोलना प्रस्तावित है.

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने शेष बैंकों से डिजिटल शाखा खोलने के संबंध में आवश्यक कदम उठाने तथा अगले 15 दिवस में कार्ययोजना प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया.

(कार्यवाही: नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)

पंजाब नेशनल बैंक के प्रतिनिधि ने बैंक ऑफ बड़ौदा से आग्रह किया कि वह सभी बैंकों को इस डिजिटल मॉडल को साझा करें ताकि अन्य बैंक भी इस डिजिटल मॉडल को ग्रहण कर सकें.

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, विजया बैंक, देना बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया एवं आईसीआईसीआई बैंक ने लगभग 82 गांवों को पूर्णत: डिजिटलीकरण (Digitalisation) हेतु गोद लिये जाने के संदर्भ में सूचित किया गया था. इनमे से आईसीआईसीआई बैंक द्वारा 2 गांवों के नाम तकनीकी कारणों से हटा लिये गये है जिससे आईसीआईसीआई बैंक के 9 गाँव एवं बैंक ऑफ बड़ौदा ने 2 गाँव और गोद लिए है जिससे बैंक ऑफ बड़ौदा के कुल 9 गाँव हो गए है.

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि राज्य में 5000 से अधिक आबादी वाले बैंक रहित 171 गॉवों में से 31 मार्च 2017 तक केवल 36 गॉवों में बैंक शाखाएं खोली जा चुकी हैं व बैंकों द्वारा 51 गाँवों में शाखा खोलने की व्यवहार्यता (Feasibility) पाया जाना रिपोर्ट किया है. इसके अतिरिक्त 45 गांवों में शाखा खोलना व्यवहार्य नहीं पाया भी रिपोर्ट किया है. 28 गाँवों में शाखा खोलने के संबंध में निर्णय लेना प्रधान कार्यालय स्तर पर लंबित होना रिपोर्ट किया है एवं 11 गाँवों में शाखा खोलने के संबंध में बैंकों द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया हैं.

उन्होनें यह भी बताया कि एसएलबीसी की उपसमिति की दिनांक 01.05.2017 को आयोजित बैठक में मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने यह निर्देश प्रदान किये है कि जिन बैंकों ने नयी शाखाएं खोलने के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया है, उन संबन्धित केन्द्रों पर बीसी की नियुक्ति की स्थिति स्पष्ट करते हुए एवं बीसी के टर्नओवर की विस्तृत सूचना भारतीय रिजर्व बैंक को प्रेषित करावें ताकि भारतीय रिजर्व बैंक के एलडीओ से उन गांवों में शाखा खोलने की वास्तविक स्थिति की जांच करवायी जा सके एवं तदनुसार शाखा खोलने की स्थिति पर भी निर्णय लिया जा सके एवं वर्ष 2017-18 के शाखा विस्तार योजना (Branch Expansion Plan) में 5000 से अधिक आबादी वाले बैंक रहित गॉवों में बैंक शाखाएं खोलने की कार्ययोजना की क्रियांवति भी सुनिश्चित की जाये.

मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि 5000 से अधिक आबादी वाले बैंक रहित गॉवों में किसी भी बैंक ने शाखाएं खोलने के स्थिति के बारे में आज दिनांक तक उनके कार्यालय को अवगत नहीं करवाया है. इस संबंध में एसएलबीसी की उपसमिति की दिनांक 01.05.2017 को आयोजित बैठक में भी उनके द्वारा निर्देश प्रदान करने एवं एसएलबीसी की अनुवर्तन की कार्यवाही के पश्चात भी शाखाएं खोलने के स्थिति के बारे में उनके कार्यालय को अवगत नहीं करवाया है जिस पर उनके द्वारा कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की गयी एवं बैंकों को उक्त सूचना आरबीआई को शीघ्र उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये.

(कार्यवाही: नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)

महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों की भारतीय रिजर्व बैंक के 18 मई, 2017 को जारी परिपत्र के संबंध में अवगत कराते हुए अनुरोध किया कि सभी बैंक उक्त परिपत्र में प्रदत्त दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए 5000 से अधिक जनसंख्या वाले गाँवों में शाखा खोलने की स्थिति से भारतीय रिजर्व बैंक को अगले 15 दिवस में अवगत करावें.

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा की गयी बजट घोषणा के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में 500 शाखाएं खोलने के लक्ष्य को आरबीआई के 5000 से अधिक आबादी वाले बैंक रहित गाँवों में शाखाएं खोलने के प्लान के साथ मानचित्रण (Mapping) करने के निर्देशों की अनुपालना में एसएलबीसी से नियमित अनुवर्तन के पश्चात भी बैंकों से सूचना प्रतीक्षित होने से अवगत करवाते हुए एवं वित्तीय वर्ष समाप्त होने के चलते उक्त एटीआर को कार्यसूची विवरण से हटाने के लिए प्रस्ताव रखा जिसे सदन ने सर्वसम्मति से कार्यसूची विवरण से हटाने के लिए अनुमति प्रदान करी.

आयुक्त उद्योग एवं शासन सचिव, सीएसआर राजस्थान सरकार ने सुझाव दिया कि सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली राज्य में कार्यरत बैंक शाखाओं में से 3 शाखा प्रबन्धकों का चयन कर एसएलबीसी बैठक में सम्मानित किया जाना चाहिए.

उन्होने बताया कि जिन बैंकों का लाभ राशि रू 5 करोड़ है या उससे ऊपर है उन बैंकों को अपने लाभ का 2% सामाजिक दायित्व के तहत व्यय करना आवश्यक है. उक्त व्यय राजस्थान राज्य में खर्च करने की कार्ययोजना बनाने एवं कार्ययोजना को उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार एवं एसएलबीसी से साझा के लिए बैंकों से निवेदन किया.

आयुक्त उद्योग एवं शासन सचिव, सीएसआर राजस्थान सरकार ने बताया कि सभी बैंक Companies Act की धारा 17 के अंतर्गत सीएसआर कार्य करते है इसमें सुझाव देते हुए कहा

कि हमारा विभाग एक योजना बना कर बैंको की समिति के समक्ष प्रस्तुत करने को तैयार है जिसमें Meritorious छात्रों/छात्राओं को हॉस्टल फीस-स्कोलरशिप के रूप में प्रदान की जाएं.

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि सभी बैंक सीएसआर गतिविधि के अंदर सामाजिक दायित्व के तहत व्यय करते है. बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी पिछले वर्ष इसके अंतर्गत स्कूलों में शौचालयों (Toilets) निर्माण कार्य करवाया है.

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने उक्त कार्ययोजना का एसएलबीसी की उपसमिति में चर्चा करने के निर्देश दिये.
(कार्यवाही: आयुक्त उद्योग एवं शासन सचिव, सीएसआर राजस्थान सरकार, एसएलबीसी एवं नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)

आयुक्त उद्योग एवं शासन सचिव, सीएसआर राजस्थान सरकार ने बताया कि वर्ष 2016-17 में पीएमईजीपी के तहत लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि 100 % से अधिक रही इसके लिए उन्होने बैंकों के द्वारा किए गए सराहनीय कार्य की प्रशंसा करते हुए बधाई दी.

उन्होनें बताया कि इस वित्तीय वर्ष में बुनकरों को मुद्रा योजना के तहत लाभान्वित करने के 3042 व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध कराने के लक्ष्य के सापेक्ष 1401 ऋण आवेदन पत्र प्रायोजित कर बैंक शाखाओं में भेजे गए जिनमे से 263 व्यक्तियों को ही ऋण उपलब्ध करवाया गया अभी भी 1067 ऋण आवेदन पत्र बैंक शाखाओं में लंबित है. इसके लिए उन्होनें सभी बैंकों से अनुरोध किया कि आवेदनों का दिनांक 15.06.2017 से पूर्व निस्तारण कर उनके कार्यालय को सूचित करावें. साथ ही चालू वित्त वर्ष में योजनांतर्गत उनके विभाग द्वारा 3000 ऋण आवेदन पत्र प्रायोजित कर बैंक शाखाओं को भेजने से भी अवगत करवाया.

उन्होनें बताया कि भामाशाह रोजगार सृजन योजना के तहत लक्ष्यों के सापेक्ष 87% की उपलब्धि रही है जो पिछले वर्ष की उपलब्धि 72% से अधिक है. उन्होनें यह भी बताया कि वर्ष 2016-17 में योजनांतर्गत बैंकों द्वारा क्लेम की गयी ब्याज अनुदान राशि अत्यंत कम है यह औसतन प्रति खाता प्रति वर्ष राशि रू 184 है. इसके अतिरिक्त इस योजना में प्रति खाता ऋण राशि का औसत 1.27 लाख रहा है. जो अत्यंत कम है. उन्होनें बैंक शाखाओं द्वारा ब्याज अनुदान का क्लेम नहीं करने एवं योजनान्तर्गत कम/पर्याप्त ऋण राशि प्रदान नहीं करने पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी बैंकों से अनुरोध किया कि योजनांतर्गत सभी बैंक ब्याज अनुदान राशि का नियमित क्लेम संबन्धित विभाग से करें तथा व्यक्तियों को व्यवसाय संचालन के लिए पर्याप्त मात्रा में ऋण प्रदान करें.

शासन सचिव, आपदा प्रबंधन राजस्थान सरकार बताया कि बैंक के एटीएम वीसैट से संचालित होते है अतः इनका उपयोग प्रकृतिक आपदा के समय राज्य/जिला प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही करनी पड़ेगी इससे अवगत करवाने हेतु सदन में उपस्थित बैंकों से अनुरोध किया.

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि चूंकि बैंकों के सर्वर अलग होते है उन पर किसी भी Application को चलाने के लिए बैंकों को उनके प्रधान कार्यालय से अनुमति प्राप्त करनी होती है एवं बैंकों के सर्वर पर वित्तीय लेन-देन चलते अनुमति मिलना अत्यंत कठिन है

शासन सचिव, आपदा प्रबंधन राजस्थान सरकार ने सुझाव दिया कि सरकार द्वारा प्रायोजित सभी कार्यक्रमों की प्रभावी मानीटरिंग हेतु ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बनाया जाना चाहिए, जिसमें ऋण आवेदक का विवरण, शाखा का विवरण, आवेदन की स्थिति, यदि आवेदन पत्र लंबित है तो उसका कारण इत्यादि की सूचना मौजूद हो एवं इस ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का पासवर्ड सभी बैंकों के नियंत्रक कार्यालयों एवं शाखाओं को प्रदान किया जाना चाहिए.

(कार्यवाही: सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के नोडल विभाग, राजस्थान एवं केंद्र सरकार)

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के नोडल विभाग से अनुरोध किया कि प्रायोजित कार्यक्रमों के ऋण आवेदन पत्र वर्ष के शुरूआत से ही प्रायोजित कर बैंक शाखाओं में प्रेषित करना प्रारम्भ करें एवं बैंक नियंत्रकों से अनुरोध किया कि बैंक शाखाओं को निर्देश प्रदान करें कि सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के आवेदन पत्रों का निस्तारण भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार निर्धारित समयावधि में ही करें.

(कार्यवाही: सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के नोडल विभाग, राजस्थान एवं केंद्र सरकार तथा नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि एसएलबीसी की 132वीं बैठक में अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के द्वारा दिये गए दिशा-निर्देशों के अनुसार दिनांक 01.05.2017 को एसएलबीसी की विशेष उपसमिति की बैठक का आयोजन किया गया जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, राजस्थान सरकार एवं बैंकों के नियंत्रकों ने भाग लिया जिसमें निम्नलिखित कार्य बिन्दुओं पर चर्चा की गयी :

- भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार बैंक रहित 5000 से अधिक आबादी वाले 171 गांवों में शाखाएं खोलने की कार्ययोजना.
- आरबीआई रोड़मेप एवं बैंकों के शाखा विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत गांवों में शाखाएं खोलने के प्लान का मानचित्रण करने पर चर्चा

- सभी लोगो को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु बीसी मॉडल की समीक्षा एवं बैक रहित गांवो में शाखाएं खोलने की आर्थिक व्यवहार्यता पर चर्चा
- वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य में 1760 पेट्रोल आउट को प्राथमिकता से PoS मशीन तैनाती पर प्रगति की समीक्षा
- कनेक्टिविटी की समस्या से ग्रस्त ग्राम पंचायतों में कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने एव आवर्ती व्ययों को वहन करने पर विचार विमर्श.
- समस्त बचत खातों में आधार सीडिंग, मोबाइल सीडिंग, रूपे कार्ड वितरण व एक्टिवेशन पर प्रगति की समीक्षा
- नाबार्ड FIF के अंतर्गत सोलर वीसैट लगाने के लिए राशि के पुनर्भरण हेतु नाबार्ड से क्लेम हेतु बैंकों के स्तर से की गयी कार्यवाही की समीक्षा.
- आयुक्त, ईजीएस, राजस्थान सरकार के द्वारा सक्रिय मनरेगा लाभार्थियों के खातों में आधार सीडिंग हेतु बैंक शाखाओं में भेजे गए सहमति पत्रों की एवं शाखाओं के द्वारा लाभार्थियों के खातों में की गई आधार सीडिंग की समीक्षा.

एसएलबीसी की विशेष उपसमिति की बैठक के कार्यवृत टेबल एजेंडा में रखने से अवगत कराते हुए, बैठक के दौरान उभरे कार्यबिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु बैंकों से अनुरोध किया.

(कार्यवाही: नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि आरआईएसएल (RISL) को चार बैंकों यथा बैंक ऑफ बड़ौदा, बीआरकेजीबी, पीएनबी एवं एसबीआई द्वारा कॉर्पोरेट बीसी बनाया गया है एवं अन्य बैंकों से भी आरआईएसएल (RISL) को कॉर्पोरेट बीसी बनाने का अनुरोध किया. **(कार्यवाही: नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)**

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त संशोधित सूचना के अनुसार 792 पेट्रोल पम्प पर PoS मशीन उपलब्ध करवायी जानी थी जिसमें से 639 पेट्रोल पम्प के PoS मशीन के आवेदन के उपरांत विभिन्न बैंकों के द्वारा 605 PoS मशीन उपलब्ध करवायी जा चुकी हैं एवं शेष रहे 34 पेट्रोल पम्प को PoS मशीन शीघ्र उपलब्ध करवाने हेतु बैंकों से अनुरोध है. इस एटीआर की अनुपालना होने के चलते सर्वसम्मति से इस बिन्दु को कार्यसूची से हटाने की अनुमति प्रदान की गयी.

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि कनेक्टिविटी की समस्या से ग्रस्त ग्राम पंचायत में कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने में आने वाले आवर्ती खर्चो को वहन करने की चर्चा एसएलबीसी की उपसमिति की दिनांक 01.05.2017 को आयोजित बैठक में की गयी जिसमें नाबार्ड एवं बैंकों के द्वारा उक्त खर्चों को वहन करने में असहमति जताई. कनेक्टिविटी

की समस्या का निस्तारण करने एवं कन्नेक्टिविटी उपलब्ध करवाने में आने वाले आवर्ती खर्चों को वहन करने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया.

(कार्यवाही: सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग, राजस्थान सरकार)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि एसएलबीसी की उपसमिति की दिनांक 01.05.2017 को आयोजित बैठक में महाप्रबन्धक, नाबार्ड ने बताया कि राज्य में 820 स्थानों पर कनेक्टिविटी की समस्या के निस्तारण हेतु VSAT लगाने के लिए नाबार्ड द्वारा स्वीकृति जारी की जा चुकी हैं एवं जिसमें से 202 स्थानों पर VSAT लगाने की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है इन स्थानों पर एसएलबीसी से इस संबंध में प्रमाण पत्र प्राप्त कर नाबार्ड से अनुदान पुनर्भरण क्लेम करने की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु अनुरोध किया.

(कार्यवाही: नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)

मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड ने बताया कि उक्त 202 स्थानों पर केवल बैंक ऑफ बड़ौदा एवं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने ही VSAT स्थापित करने की कार्यवाही पूर्ण की है एवं उन्होने शेष रहे स्थानों पर VSAT स्थापित करने की कार्यवाही पूर्ण करने के लिए बैंकों को अनुरोध किया एवं सितम्बर 2017 से पूर्व नाबार्ड से अनुदान पुनर्भरण क्लेम करने की कार्यवाही करने का अनुरोध करते हुए सूचित किया कि स्वीकृति की शर्तों के अनुसार सितम्बर 2017 के पश्चात अनुदान का पुर्नभरण नहीं किया जा सकेगा.

उन्होने यह भी बताया कि वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा हाल ही में जारी परिपत्र के अनुसार राज्य में कोई भी ऐसा SSA नहीं है जिस पर कनेक्टिविटी की समस्या हो अतः अब कनेक्टिविटी की समस्या के निस्तारण हेतु VSAT लगाने के लिए अनुदान उपलब्ध नहीं होगा. साथ ही सीबीआई की 6 नई Location के संबंध में पत्र प्राप्त होने से भी सूचित करते हुए कहा कि एसएलबीसी से आवश्यक Certificate प्राप्त होने की दशा में ही इन 6 स्थानों पर VSAT लगाने के लिए FIF Fund से स्वीकृति प्रदान प्रदान करने की कार्यवाही की जाएगी.

(कार्यवाही: नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)

<u>आधार सीडिंग (Aadhar Seeding)</u>

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि बल्क आधार सीडिंग का प्रकरण वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार को मार्गदर्शन दिये जाने हेतु संदर्भित किया है एवं प्रकरण वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार के स्तर से अपेक्षित कार्यवाही हेतु विचारधीन है. राज्य में PMJDY खातों में लगभग 80% से अधिक आधार सीडिंग हो चुकी है एवं दैनिक आधार पर

इसमें प्रगति परिलक्षित हो रही है. अतः इस एटीआर को सदन द्वारा सर्वसम्मति से कार्यसूची से हटाने की अनुमति प्रदान की गयी.

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि आयुक्त, ई.जी.एस विभाग द्वारा सक्रिय मनरेगा लाभार्थियों के खातों में आधार सीडिंग हेतु दिनांक 20.04.2017 तक 2.52 लाख सहमति पत्र विभिन्न बैंक शाखाओं को प्राप्त हुए हैं. प्राप्त सहमति पत्र में से 2.40 लाख खातों में आधार सीड किए जा चुके हैं. एसएलबीसी की उपसमिति की दिनांक 01.05.2017 को आयोजित बैठक में एसएलबीसी द्वारा राज्य सरकार से अनुरोध किया गया कि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुसार ही कार्यवाही कराये. साथ ही आधार कार्ड सीडिंग हेतु भेजे गए शेष सहमति पत्रों की बैंक शाखावार सूचना उपलब्ध करवायें ताकि विभाग और बैंकों द्वारा रिपोर्ट किए जा रहें आकड़ों में विद्यमान अंतर को ज्ञात किया जा सके. **(कार्यवाही: आयुक्त, ई.जी.एस, राजस्थान सरकार)**

राज्य निदेशक, आरसेटी ने बताया कि आरसेटी संस्थानों के द्वारा वर्ष 2016-17 में प्रोजेक्ट लाइफ मनरेगा में 6164 कामगारों को प्रशिक्षण प्रदान के लक्ष्य के सापेक्ष 5513 कामगारों प्रशिक्षण दिया गया है. इस प्रकार लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि 90% रही है. उन्होने वर्ष 2017-18 के लिए 6000 इच्छुक कामगारों को प्रशिक्षण प्रदान करने से अवगत कराते हुए राज्य सरकार से अनुरोध किया कि प्रशिक्षण के लिए चिन्हित/इच्छुक लाइफ मनरेगा कामगारों का Identification एवं sponsoring जिला प्रशासन द्वारा करवाकर सभी आरसेटी संस्थानों को उपलब्ध करवाया जायें. **(कार्यवाही: आयुक्त, ई.जी.एस, राजस्थान सरकार)**

<u>प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना</u>

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि चुरू जिले में रबी 2013-14 के बीमा क्लेम के प्रकरण के निस्तारण हेतु निदेशक, कृषि, द्वारा आयोजित बैठक दिनांक 15.12.2016 में लिये गये निर्णय अनुसार क्लेम के अंतर की राशि रू 1.29 करोड़ का 50:50 प्रतिशत भुगतान आईसीआईसीआई लोम्बार्ड व पंजाब नेशनल बैंक, श्रीगंगानगर द्वारा भुगतान किया जाना तय हुआ परंतु आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने उक्त निर्णय की अनुपालना करने में असमर्थता व्यक्त की है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (Erstwhile SBBJ) शाखा चुरू ने संशोधित घोषणा पत्र बीमा कंपनी को प्रेषित कर दिये है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ साथ बीआरकेजीबी के चुरू जिले के संशोधित क्लेम एवं पूर्व के वर्षो में कवर किये गये फसल बीमा में कृषकों का आधिक्य प्रीमियम (Excess Premium) का भुगतान भी बीमा कंपनियों ने वापस

नहीँ किया गया. इस प्रकरण को जल्द निस्तारण करने एवं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को दिये गये निर्णय की अनुपालना करवाने हेतु कृषि विभाग राजस्थान सरकार से अनुरोध किया गया.

(कार्यवाही: कृषि विभाग, राजस्थान सरकार)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने रबी 2016-17 मौसम में बीमित किसानों की सूचना भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड करने की कार्यवाही के लिए कृषि विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध किया.

(कार्यवाही: कृषि विभाग, राजस्थान सरकार)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने राजस्थान सरकार के फसल बीमा पोर्टल पर अपलोड रबी 2016-17 के तहत फसल बीमा की बैंकवार सूचना उपलब्ध करवाने हेतु कृषि विभाग, राजस्थान सरकार अनुरोध किया ताकि बैंकों को कृषि विभाग, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार फोलियो प्रिंट करवाकर संबन्धित किसानों को उपलब्ध करवाए जा सके.

इस संबंध में प्रतिनिधि, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार ने सदन को अवगत करवाया कि शीघ्र ही वांछित आंकड़े एसएलबीसी को उपलब्ध करवा दिया जाएगा.

(कार्यवाही: कृषि विभाग, राजस्थान सरकार)

प्रतिनिधि, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार ने बैंक नियंत्रकों से अनुरोध किया कि उनके बैंक की शाखाओं को वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक मौसम आधारित फसल बीमा योजना व संशोधित राष्ट्रीय फसल बीमा योजना के तहत लाभान्वित कृषकों की सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश प्रदान करें ताकि उक्त सूचना संकलित कर मुख्य मंत्री कार्यालय, राजस्थान को उपलब्ध करवायी जा सकें. **(कार्यवाही: नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)**

<u>स्वयं सहायता समूह एवं सरकार प्रायोजित योजनाओं में प्रगति</u>

मुख्य परिचालन प्रबन्धक, राजीविका, ग्रामीण विकास, राजस्थान सरकार ने बताया कि बैंकों में SGSY योजना के अनुदान की लगभग राशि रू 15 करोड़ बैंकों के पास खातों में पिछले 4 वर्षों से अवशेष है जिसमें से केवल राशि रू 2 करोड़ ही विभाग को प्राप्त हुई है. विभाग द्वारा बैंक शाखावार सूचना उपलब्ध करवाने एवं एसएलबीसी से अनुवर्तन की कार्यवाही के पश्चात भी राज्य सरकार को उक्त राशि वापस नहीं लौटाई गई है.

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने उक्त SGSY योजना के अनुदान की राशि को जून 2017 तक ग्रामीण विकास, राजस्थान सरकार को लौटाने हेतु बैंकों से अनुरोध किया.

(कार्यवाही: नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)

राज्य निदेशक, केवीआईसी, भारत सरकार ने बताया कि पीएमईजीपी योजनान्तर्गत राशि रू 56 करोड़ के मार्जिन मनी के लक्ष्यों के सापेक्ष राशि रू 57.63 करोड़ उपलब्धि रही है जो कि लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि 102% रही है.

उन्होनें बताया कि विमुद्रीकरण एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बैंकों की व्यस्तता के चलते बैंकों द्वारा कम समय में सराहनीय कार्य करते हुए लक्ष्यों को किया है इसके लिए सभी बैंकों का आभार प्रकट करते हुए बैंकों से अनुरोध किया कि वर्ष 2016-17 में मार्जिन मनी क्लेम के लिए लंबित आवेदन पत्रों की ऑनलाइन पोर्टल पर उक्त आवेदन पत्रों की कमियों को शीघ्र पूर्ण करें.

(कार्यवाही: नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)

राज्य निदेशक, केवीआईसी, भारत सरकार ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष 2017-18 के PMEGP योजना के भौतिक लक्ष्य 2500 के रहेंगे.

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि डीटीएफ़सी में आवेदन पत्र केवल उपलब्ध सूचना के आधार पर अनुमोदित किये जा रहा है. आवेदक से व्यक्तिश: साक्षात्कार नहीं किया जा रहा हैं अतः आवेदक के व्यक्तिश: उपस्थित होकर साक्षात्कार लिए जाने की व्यवस्था को दुबारा लागू करवाने के लिए संबन्धित विभाग से अनुरोध किया.

(कार्यवाही: केवीआईसी, केवीआईबी एवं डीआईसी)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि 31 मार्च 2017 तक भामाशाह रोजगार सृजन योजनांतर्गत 9589 व्यक्तियों को राशि रू 125.99 करोड़ (पीएमएमवाई सहित) का ऋण स्वीकृत किया गया है. इस प्रकार लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि 87% रही है.

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि सरकार द्वारा प्रायोजित सभी योजनाओं में 31 मार्च 2017 तक की प्रगति सूचना बैठक के कार्यसूची विवरण के एजेंडा संख्या 5 में रखने से अवगत करवाया.

शासन सचिव, आपदा प्रबंधन, राजस्थान सरकार, ने बताया कि सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में रिजेक्शन का प्रतिशत बहुत अधिक रहता है. साथ ही उन्होने सरकार द्वारा प्रायोजित सभी योजनाओं को ऑनलाइन करने हेतु संबन्धित विभागों को अनुरोध किया. इसके साथ ही सुझाव भी दिया कि प्रत्येक online application में Latitude एवं Longitude के साथ आधार नं. डलवाया जाना चाहिए.

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि प्रधानमंत्री टास्क फोर्स कमिटी द्वारा निर्धारित पैरामीटर पर 31 मार्च 2017 तक की प्रगति निम्नानुसार रही है :

S.No.	Parameter	Advisory	Actual Achievement as on March 2017
1.	Achieve 20% Year on Year (YOY) growth in credit to Micro and Small enterprises.	20%	5.81
2.	Allocation of 60% of the MSE advances to the micro enterprises	60%	57.72%
3.	10% annual growth in number of micro enterprise accounts	10%	8.05%

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सभी बैंकों से अनुरोध किया कि इन तीनों पैरामीटर पर प्रत्येक शाखा की नियमित समीक्षा की जायें.

(कार्यवाही: नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)

महाप्रबंधक, राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि. राजस्थान सरकार ने बताया कि मार्च 2017 तक एससीए एवं एसटी पोप योजनान्तर्गत लक्ष्यों के सापेक्ष मात्र 38.45% उपलब्धि रही है. उक्त प्रगति को देखते हुए वर्ष 2017-18 में योजनांतर्गत लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु बैंक शाखाओं को विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है. साथ ही उन्होने बताया कि विशेष केंद्रीय सहायता योजनान्तर्गत (SCA) एवं अनुसूचित जनजाति पोप योजना (STPOP) के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बी.पी.एल. परिवारों को लाभान्वित करने के लिए वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में राशि रू 20,000/- से बढ़ाकर राशि रू 54,300/- तथा शहरी क्षेत्र में राशि रू 21,400/- से बढ़ाकर राशि रू 60,120/- कर दी गयी है.

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सुझाव दिया कि इस योजना के प्रभावी मानीटरिंग हेतु इस योजना को भी ऑनलाइन किया जाना चाहिए.

महाप्रबंधक, राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि. राजस्थान सरकार ने बताया कि हम इस योजना को ऑनलाइन करने का प्रयास करेंगें
(कार्यवाही: राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि. राजस्थान सरकार)

परियोजना प्रबन्धक, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) ने बैंकों से निम्नानुसार अनुरोध किया:

- वर्ष 2017-18 के राज्य के लक्ष्य आवंटित कर दिये गये है एवं संयुक्त सचिव(DAY-NULM) आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार पॉश एरिया की शाखाओं की अपेक्षा अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र की बैंक शाखाओं को अधिक लक्ष्य प्रदान करें .
- बैंक शाखाओं द्वारा योजनान्तर्गत ब्याज अनुदान क्लेम नहीं किया जा रहा है अतः बैंकों के नियंत्रक उनकी शाखाओं को निर्देशित करें कि बैंक शाखाएं नियमित रूप से ब्याज अनुदान क्लेम करें.
- बैंक नियंत्रकों से अनुरोध किया कि ऋण स्वीकृति पत्र में ईएमआई विवरण के साथ ब्याज अनुदान भी एक कॉलम जोड़ा जाएं.

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार से राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) योजनान्तर्गत प्रभावी मॉनिटरिंग एवं अपेक्षानुरूप प्रगति हेतु मासिक रूप से बैंकवार/शाखावर सूचना उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया. इसके अतिरिक्त परियोजना प्रबन्धक NULM से अनुरोध किया कि जिला स्तर पर इस योजना की नियमित समीक्षा की जानी चाहिए ताकि इस योजना में वांछित प्रगति परिलक्षित हों.
(कार्यवाही: स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार एवं नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)

<u>प्रधानमंत्री जनधन योजना</u>

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि राज्य में PMJDY के तहत खोले गए खातों में दिनांक 31.3.2017 तक RUPAY कार्ड एक्टिवेशन 53.39% तथा आधार सीडिंग 75.25% है एवं वित्तीय सेवाएँ, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार PMJDY के तहत खोले गये खातों में आधार सीडिंग का कार्य 31.05.2017 तक पूर्ण किया जाना है.

इस हेतु सभी बैंकों से अनुरोध किया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार 100% लक्ष्य को प्राप्त करने की कार्ययोजना पर बैंक कार्य करें.

उन्होने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं यथा PMSBY एवं PMJJBY में लंबित क्लेम की सूचना नियमित रूप से एसएलबीसी को उपलब्ध करवाने हेतु नोडल बीमा कंपनी से अनुरोध किया.
साथ ही सभी बैंकों के नियंत्रकों से अनुरोध किया कि इन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में सभी पॉलिसियाँ का नवीनीकरण जून 2017 तक आवश्यक रूप से किया जाएं एवं शाखाओं को इन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के नए नामांकन के दिशा-निर्देश भी प्रदान किए जायें.

(कार्यवाही: बीमा कंपनीयां, राजस्थान एवं नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)

<u>मुद्रा एवं स्टेण्ड अप इण्डिया योजना</u> (PMMY/SUI)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि दिनांक 31.03.2017 तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत राशि रू 4950 करोड़ लक्ष्य के सापेक्ष में राशि रू 5865 करोड़ के ऋण वितरित किये गए हैं एवं लक्ष्यों के सापेक्ष में उपलब्धि 118% रही हैं.

उन्होने यह भी बताया कि दिनांक 31.03.2017 तक स्टेण्ड अप-इण्डिया योजना के तहत 1638 व्यक्तियों को राशि रू 312.67 करोड़ के ऋण स्वीकृत किये गये हैं. स्टेण्ड अप इंडिया में काफी कम प्रगति है तथा बैंक शाखाओं को अधिक प्रयास करने की आवश्यकता बतलायी.

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार पूरे देश में 300 जिलों में दिनांक 26 मई 2017 से 11 जून 2017 तक वित्तीय साक्षरता के प्रचार प्रसार हेतु जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है. राज्य में तीन जिलों यथा अजमेर, जयपुर एवं अलवर में उक्त कार्यक्रम आयोजित किये जावेंगें. कार्यक्रमों की रूप-रेखा सभी बैंकों को एसएलबीसी से जल्द ही प्रेषित कर दिया जावेगा एवं कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने हेतु बैंक शाखाओं को निर्देश प्रदान करने के लिए सभी बैंक नियंत्रकों से अनुरोध किया.

(कार्यवाही: नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि केन्द्रीय सरकार के कार्यकाल के 3 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड (NFDC) की सहभागिता से 300 जिलों में 3 दिवसीय “आउटरीच प्रोग्राम” का आयोजन किया जा रहा है. इस आयोजन के अंतर्गत

प्रदर्शनी के माध्यम से सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं की उपलब्धियों का प्रचार किया जायेगा. इस प्रदर्शनी में बैंक को NFDC द्वारा तीन दिन के लिए बूथ सेट-अप उपलब्ध करवाया जायेगा एवं बूथ सेट-अप अग्रणी जिला प्रबन्धक के समन्वय से वित्तीय साक्षरता एवं वित्तीय सशक्तिकरण की योजनाओं को सम्मलित कर आगंतुकों को लाभान्वित किया जायेगा.

महाप्रबंधक, सिडबी, ने मुद्रा योजना में लक्ष्यों के सापेक्ष 100% से अधिक की उपलब्धि होने पर सभी बैंकों को बधाई दी साथ ही Stand up India योजना के तहत आशानुरूप प्रगति न होने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यदि किसी बैंक को standup योजना के तहत किसी प्रकार के सहयोग के लिए सिडबी से सम्पर्क किया जा सकता है.

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि दिनांक 22/05/2017 को वित्त मंत्रालय के साथ हुई VC बैठक में दिये निर्देशानुसार उपरोक्त "आउटरिच प्रोग्राम" के आयोजन पर होने वाले संभावित कुल व्यय राशि रू 80 हजार से रू 1.00 लाख के बीच एवं सेवाकर का वहन अग्रणी जिला समन्वयक बैंक द्वारा दिया जायेगा.

(कार्यवाही: बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक एवं पंजाब नेशनल बैंक, राजस्थान)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि स्टेण्ड अप इण्डिया योजना के प्रभावी रूप से क्रियान्विति हेतु राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति का गठन के आदेश राज्य सरकार ने दिनांक 22.08.2016 को जारी कर दिये हैं. समिति में सदस्य के रूप में दो विधायकों जिनमें एक अनुसूचित जाति/अनूसूचित जन जाति श्रेणी एवं एक महिला का नाम मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा नामित किया जाना प्रतीक्षित है. समिति की प्रथम बैठक का आयोजन भी उपरोक्त नामांकन के उपरांत किया जाना प्रस्तावित है.

(कार्यवाही: संयुक्त शासन सचिव, संस्थागत वित्त, राजस्थान सरकार)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि सभी बैंकों एवं अग्रणी जिला प्रबन्धक के द्वारा नियमित स्टेण्ड अप-इण्डिया पोर्टल पर नियमित लॉगिन किया जा रहा है. अतः इस एटीआर की नियमित अनुपालना होने के चलते सदन ने सर्वसम्मति से इसे कार्यसूची से हटाने की अनुमति प्रदान की गयी.

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि CGTMSE योजनान्तर्गत राज्य में मार्च 2017, तिमाही तक 13392 उद्यमियों को एवं राशि 529 करोड़ रू को कवर किया जा चुका है एवं CGTMSE योजना की सूचना नियमित रूप से एसएलबीसी के कार्यसूची विवरण दी

जा रही है. अतः इस एटीआर का एसएलबीसी के नियमित एजेंडा में समीक्षा होने के चलते सदन ने सर्वसम्मति से इस कार्यसूची से हटाने अनुमति प्रदान की गई.

अटल पेंशन योजना

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि अटल पेंशन योजना के तहत कुल लक्ष्य 457840 के सापेक्ष 205451 उपलब्धि रही है जो लक्ष्य का 44.87% हैं. समस्त बैंकों से अनुरोध किया कि योजना का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें जिससे आम जनता में जागरूकता उत्पन्न हो एवं अधिकाधिक नामांकन हेतु प्रेरित हो सकें. अतः इस एटीआर का एसएलबीसी के नियमित एजेंडा में समीक्षा होने के चलते सदन ने सर्वसम्मति से इस कार्यसूची से हटाने अनुमति प्रदान की गई.

(कार्यवाही: नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY- CLSS)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) ने प्रधानमंत्री आवास योजना में राजस्थान में मार्च 2017 तक 356 इकाइयों को 4.30 करोड़ रू का ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाने से अवगत करवाया है एवं बैंको से प्राप्त सूचना के आधार पर हुड़को (HUDCO) ने प्रधानमंत्री आवास योजना में राजस्थान में मार्च 2017 तक 131 इकाइयों को 1.01 करोड़ रू का ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया है. उन्होने बैंको से आग्रह किया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस योजना के तहत लाभान्वित करने का प्रयास करें.

(कार्यवाही: नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)

प्रतिनिधि, हुड़को (HUDCO) ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के सीएलएसएस में राजस्थान में वर्ष 2016-17 में 131 परियोजना में राशि रू 1.01 करोड़ का ब्याज अनुदान एवं वर्ष 2017-18 में 47 परियोजना में राशि रू 47.54 लाख का ब्याज अनुदान प्रदान किया गया है. उन्होने बैंकों से आग्रह किया कि ज्यादा से ज्यादा लोगो को इस योजना के तहत लाभान्वित करने का प्रयास करें. प्रतिनिधि हुड़को ने बताया कि आरएमजीबी बैंक से तो क्लेम आ रहे है पर बीआरकेजीबी से क्लेम नहीं आ रहे है.

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने एनएचबी एवं हुड़को के प्रतिनिधि से अनुरोध किया कि उनके द्वारा Approved Projects की सूची वह एसएलबीसी के साथ साझा (Share) करें ताकि एसएलबीसी यह सूची सभी बैंकों को उपलब्ध करवा सकें.

(कार्यवाही: एनएचबी एवं हुड़को)

अध्यक्ष, आरएमजीबी द्वारा बताया कि उनके बैंक को पीएमएवाई एवं मुख्यमंत्री आवास योजना में उत्कृष्ट कार्य करने के चलते श्री वैंकेया नायडू, केबिनेट मंत्री, शहरी विकास, भारत सरकार द्वारा प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है.

<u>पंजीयन एवं मुद्राक विभाग</u>

महापंजीयक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान सरकार ने बताया कि बैंक द्वारा कृषि भूमि के रहननामा के ऑनलाइन पंजीयन के लिए राज्य 10 जिलों में बैंककर्मियों को एवं रजिस्ट्रार कार्यालय के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है एवं बैंकों से प्राप्त सूचना के आधार पर बैंक कार्मिकों के यूजर id एवं पासवर्ड बनवाकर सम्बंधित बैंकों को उपलब्ध करवा दिए गए है. जिन बैंक शाखाओं के यूजर id एवं पासवर्ड सृजित हो चुके है उन बैंक शाखाओं से अनुरोध है कि ऑनलाइन कृषि भूमि रहननामा को उप पंजीयक कार्यालय को प्रस्तुत करने की कार्यवाही प्रारम्भ करें एवं शेष रही 23 जिलों में स्थित बैंक शाखाएं अपने यूजर id सृजन करवाने हेतु संबन्धित पंजीयक कार्यालय को आवेदन करें.

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सभी बैंक नियंत्रकों से अनुरोध किया कि वह अपनी शेष रही शाखाओं के USER ID एवं Password सृजित करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करावें.

(कार्यवाही: नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)

महापंजीयक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान सरकार बताया कि वर्ष 2017-18 की बजट घोषणा के अनुसार रजिस्ट्रेशन एवं स्टाम्प एक्ट में जो संशोधन हुए है उनको एसएलबीसी एवं सभी संबन्धित बैंकों को उपलब्ध करवा दिये गए है एवं विभाग से जारी सभी परिपत्र विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध होने के बारे में भी सूचित किया. साथ ही उन्होने बैंकों के नियंत्रकों से अनुरोध किया कि पूर्व में सभी बैंकों द्वारा राज्य सरकार की बजट घोषणा की अनुपालना में स्टांप ड्यूटी से संबन्धित सूचना सितंबर 2016 तक हमारे विभाग को उपलब्ध करवायी थी अब यह सूचना अक्टूबर 2016 से मार्च 2017 तक की सूचना पुनः उनके विभाग को उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया.

(कार्यवाही: नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)

<u>Chief Minister Skill Loan Scheme</u>

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि आईबीए से अनुमोदित स्किल लोन स्कीम को राज्य सरकार ने Chief Minister Skill Loan Scheme के नाम से योजना राजस्थान सरकार द्वारा प्रारम्भ की जा रही है योजना के क्रियान्वयन से पूर्व विभाग योजना में ब्याज अनुदान के क्लेम के प्रपत्र एवं पद्दति प्रक्रिया उपलब्ध करवाने हेतु पुनः अनुरोध किया.

(कार्यवाही: आरएसएलडीसी, राजस्थान सरकार)

<u>एजेण्डा क्रमांक - 2</u>

शाखा विस्तार: 31 मार्च 2017 तक राज्य में कुल 7,518 बैंक शाखाएँ कार्यरत हैं। वित्तीय वर्ष 2016-17 में बैंकों द्वारा कुल 232 शाखाएं खोली गयी हैं.

जमाएँ व अग्रिम: 31 मार्च 2017 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 21.93% के साथ कुल जमाएँ रूपये 3,39,762 करोड़ तथा कुल अग्रिम वर्ष दर वर्ष वृद्धि 10.56% के साथ कुल ऋण रूपये 2,39,168 करोड़ रहे हैं. जमाओं में वाणिज्यिक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं सहकारी बैंकों की वर्ष दर वर्ष वृद्धि क्रमशः 22.56%, 24.04% एवं 8.96% रही तथा अग्रिमों में वाणिज्यिक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में वर्ष दर वर्ष वृद्धि क्रमशः 11.40% एवं 11.31% रही तथा को-ऑपरेटिव बैंकों के अग्रिमों में वर्ष दर वर्ष नकारात्मक वृद्धि क्रमशः 1.84% रही.

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदत्त ऋण: 31 मार्च 2017 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 17.04% के साथ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदत्त ऋण रूपये 1,69,836 करोड़ रू रहा है.

कृषि क्षेत्र को प्रदत्त ऋण: 31 मार्च 2017 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 14.64 % के साथ कृषि क्षेत्र को प्रदत्त ऋण रूपये 90,655 करोड़ रहा है.

सूक्ष्म व लघु उद्यम एवं अन्य प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण: 31 मार्च 2017 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 19.90% के साथ सूक्ष्म व लघु उपक्रम एवं अन्य प्राथमिकता क्षेत्र को प्रदत्त ऋण रूपये 79,181 करोड़ रहा है.

कमजोर वर्ग को ऋण: 31 मार्च 2017 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 13.41 % के साथ कमजोर वर्ग को प्रदत्त ऋण रूपये 54,248 करोड़ रहा है.

अल्पसंख्यक समुदाय को ऋण: 31 मार्च 2017 को राज्य में वर्ष दर वर्ष नकारात्मक वृद्धि 1.83% के साथ अल्पसंख्यक समुदाय को प्रदत्त ऋण रूपये 11,938 करोड़ रहा है.

राज्य में **कुल अग्रिमों** का **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र** को अग्रिम 71.01%, **कृषि क्षेत्र** को 37.90%, कमजोर वर्ग को 22.68%, **लघु एवं सूक्ष्म कृषकों** को 15.51% तथा **सूक्ष्म उपक्रमों** को 21.65% रहा है. उपरोक्त सभी मानदण्डों में बकाया भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित बैंचमार्क से ऊपर रहे हैं.

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूक्ष्म उपक्रमों ऋणों के स्तर को प्रधानमंत्री टास्क फोर्स समिति द्वारा संस्तुतित स्तर के अनुसार रखने हेतु बैंकों को अनुरोध करते हुए कहा कि सूक्ष्म उद्यमियों को अधिक वित्त पोषण प्रदान करें.

(कार्यवाही: नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)

साख जमा अनुपात (CD Ratio): 31 मार्च 2017 को राज्य में साख जमा अनुपात 72.66% रहा है. दिसम्बर 2016 को डुंगरपुर, राजसमंद एवं सिरोही में CD Ratio क्रमशः 30.71%, 33.77% एवं 36.91% रहा है जो निर्धारित बेंच मार्क 40% से कम था लेकिन 31 मार्च 2017 को डुंगरपुर, राजसमंद एवं सिरोही में CD Ratio क्रमशः 34.19% 40.45% एवं 40.98% रहा है.

वार्षिक साख योजना के तहत प्रगति: वर्ष 2016-17 हेतु वार्षिक साख योजनांतर्गत निर्धारित लक्ष्यों (वार्षिक) के सापेक्ष कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में चतुर्थ तिमाही तक की उपलब्धि 76.30% रही है. कृषि में 68%, सूक्ष्म व लघु उघम क्षेत्र में 142% एवं अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 33% की उपलब्धि दर्ज की गई है एवं वार्षिक साख योजनांतर्गत वर्ष 2016-17 हेतु निर्धारित लक्ष्यों (वार्षिक) के सापेक्ष चतुर्थ तिमाही तक वाणिज्यिक बैंकों ने 88%, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 70% तथा को-ऑपरेटिव बैंक ने 46% की उपलब्धि दर्ज की है.

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सदन को नजदीकी राज्य हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश के 31 मार्च 2017 के साख जमा अनुपात (CD Ratio), वार्षिक साख योजना में उपलब्धियों के तुलनात्मक आंकड़े प्रस्तुत किये. तुलनात्मक आंकड़ों में राजस्थान राज्य की प्रगति को संतोषप्रद पाया गया.

मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड ने बताया कि उनके विभाग के ENSURE सॉफ्टवेयर में वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंकों के द्वारा ग्राउंड लेवल क्रेडिट के आँकड़े प्रस्तुत किये है उन आँकड़ो से एसएलबीसी द्वारा प्रस्तुत आँकडो से तुलना करने पर काफी अंतर पाया गया है. यह अंतर मुख्यत: सावधि ऋण (Term Loan) वाले Component में देखा गया है. उन्होने सभी

वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंकों से अनुरोध किया कि एसएलबीसी एवं ENSURE सॉफ्टवेयर में समान आँकड़े प्रस्तुत करें.

(कार्यवाही: वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंक राजस्थान)

<u>एजेण्डा क्रमांक - 3</u>

<u>Preparation of Financial Inclusion Plan (FIP) - 2016-19</u>

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि आरबीआई के निर्देशानुसार बैंकों के निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित वित्तीय समावेशन प्लान "अप्रैल 2016 से मार्च 2019" केवल बैंक ऑफ बड़ौदा, धनलक्ष्मी बैंक, आईडीबीआई, एसबीबीजे, बीआरकेजीबी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आरएमजीबी, एचडीएफ़सी बैंक, नैनीताल बैंक प्राप्त हुआ था एवं गत बैठक में 15 अप्रैल 2017 तक उक्त प्लान को प्रस्तुत करने के निर्देश दिये जाने के उपरांत पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया से ही वित्तीय समावेशन प्लान प्राप्त हुआ है.

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने शेष बैंकों से निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित वित्तीय समावेशन प्लान भारतीय रिजर्व बैंक एवं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति को अगले सप्ताह के अंत तक यथा 03.06.2017 तक प्रस्तुत करने का निर्देश दिये.

(कार्यवाही: शेष बैंकों के नियंत्रक, राजस्थान)

<u>Roadmap for coverage of villages having population above 5000 (As per census 2011)</u>

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि राज्य में 5000 से अधिक आबादी वाले बैंक रहित 171 गॉवों में से 31 मार्च 2017 तक केवल 36 गॉवों में बैंक शाखाएं खोली जा चुकी हैं. बैंकों द्वारा 51 गाँवों में शाखा खोलने की व्यवहार्यता (Feasibility) पाया जाना रिपोर्ट किया है. इसके अतिरिक्त 45 गांवों में शाखा खोलना व्यवहार्य नहीं पाया भी रिपोर्ट किया है. 28 गाँवों में शाखा खोलने के संबंध में निर्णय लेना प्रधान कार्यालय स्तर पर लंबित होना रिपोर्ट किया है एवं 11 गाँवों में शाखा खोलने के संबंध में बैंकों द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया हैं.

उन्होनें यह भी बताया कि एसएलबीसी की उपसमिति की दिनांक 01.05.2017 को आयोजित बैठक में मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने यह निर्देश प्रदान किये है कि जिन बैंकों ने नयी शाखाएं खोलने के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया है, उन संबन्धित केन्द्रों पर बीसी की नियुक्ति की स्थिति स्पष्ट करते हुए एवं बीसी के टर्नओवर की विस्तृत सूचना भारतीय रिजर्व बैंक को प्रेषित करावें ताकि भारतीय रिजर्व बैंक के एलडीओ से उन गांवों में शाखा खोलने की वास्तविक स्थिति की जांच करवायी जा सके एवं तदनुसार शाखा खोलने की स्थिति पर भी निर्णय लिया जा सके एवं वर्ष 2017-18 के शाखा विस्तार योजना (Branch Expansion Plan) में 5000 से अधिक आबादी वाले बैंक रहित गॉवों में बैंक शाखाएं खोलने की कार्ययोजना की क्रियांवति भी सुनिश्चित की जाये.

मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि 5000 से अधिक आबादी वाले बैंक रहित गॉवों में किसी भी बैंक ने शाखाएं खोलने के स्थिति के बारे में आज दिनांक तक उनके कार्यालय को अवगत नहीं करवाया है. इस संबंध में एसएलबीसी की उपसमिति की दिनांक 01.05.2017 को आयोजित बैठक में भी उनके द्वारा निर्देश प्रदान करने एवं एसएलबीसी की अनुवर्तन की कार्यवाही के पश्चात भी शाखाएं खोलने के स्थिति के बारे में उनके कार्यालय को अवगत नहीं करवाया है जिस पर उनके द्वारा कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की गयी एवं बैंकों को उक्त सूचना आरबीआई को शीघ्र उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये.

(कार्यवाही: नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि राज्य में PMJDY के तहत खोले गए खातों में दिनांक 31.3.2017 तक RUPAY कार्ड एक्टिवेशन 53.39% तथा आधार सीडिंग 75.25% है एवं वित्तीय सेवाएँ, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार PMJDY के तहत खोले गये खातों में आधार सीडिंग का कार्य 31.05.2017 तक पूर्ण किया जाना है.

इस हेतु सभी बैंकों से अनुरोध किया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार 100% लक्ष्य को प्राप्त करने की कार्ययोजना पर बैंक कार्य करें.

उन्होने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं यथा PMSBY एवं PMJJBY में लंबित क्लेम की सूचना नियमित रूप से एसएलबीसी को उपलब्ध करवाने हेतु नोडल बीमा कंपनी से अनुरोध किया.
साथ ही सभी बैंकों के नियंत्रकों से अनुरोध किया कि इन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में सभी पॉलिसियाँ का नवीनीकरण जून 2017 तक आवश्यक रूप से किया जाएं एवं शाखाओं को इन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के नए नामांकन के दिशा-निर्देश भी प्रदान किए जायें.

(कार्यवाही: बीमा कंपनीयां, राजस्थान एवं नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)

Spread of Financial Literacy in ITIs, Skilling Centre

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने समग्र वित्तीय समावेशन को आगे ले जाने के लिए वित्तीय साक्षरता की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए बतलाया कि वित्तीय साक्षरता केन्द्रों (FLCs) एवं बैंक शाखाओं के माध्यम से सरकारी व गैर सरकारी ITIs, वोकेशनल ट्रेनिंग कार्यक्रम केंद्र (VTPs) और ऑपरेशनल केंद्र (OCs) जैसे कौशल विकास केन्द्रों में वित्तीय साक्षरता का प्रसार करने पर जोर दिया जा रहा है. मार्च 2017 तक 1026 केन्द्रों में 63638 विद्यार्थियों को वित्तीय साक्षरता से लाभान्वित कर 62031 विद्यार्थियों को साक्षरता सामग्री उपलब्ध करवाए जाने की जानकारी दी.

NABARD Guidelines Installation of regarding Solar powered V-SAT for connectivity to Kiosk/ Fixed CSP in the SSA- Support under FIF

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि कनेक्टिविटी की समस्या के समाधान हेतु सौर उर्जा चालित वी-सैट (V-SAT) स्थापित करने के लिए 6 बैंकों को 820 स्तनों के लिए नाबार्ड से वित्तीय सहायता की सैद्धांतिक मंजूरी/स्वीकृति दी गयी है एवं इस संबंध में बैंकों से अनुरोध किया कि वी-सेट स्थापित कर राशि के पुनर्भरण हेतु सितम्बर 2017 तक दावा नाबार्ड को प्रस्तुत करें तथा इस हेतु वांछित प्रमाण पत्र एसएलबीसी से पूर्व में प्राप्त कर लें.

(कार्यवाही: संबन्धित नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)

To initiate the financial literacy programme for school children, with a special focus on female students of class 9 and 10 in the state

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम के तहत 5083 विद्यालयों का मानचित्रण (Mapping) कर 3241 विद्यालयों में साक्षरता कार्यक्रम किये गये हैं. इन कार्यक्रमों में 225721 विद्यार्थियों ने भाग लिया है तथा 210251 विद्यार्थियों को वित्तीय साक्षरता सामग्री भी उपलब्ध करवायी गयी है.

Support from Financial Inclusion Fund (FIF) Deployment of PoS Terminals in Tier 5 and Tier 6 Centres

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश के तहत राज्य में 10000 से कम आबादी वाले गावों में कम से कम 2 PoS मशीन की स्थापित करने का लक्ष्य है इस संबंध में 10393 गांवों में 14300 PoS मशीनों की स्थापना के लिए नाबार्ड ने 8.58 करोड़ रू की लागत पुनर्भरण की सैद्धांतिक मंजूरी दी है तथा बैंकों द्वारा स्थापित की गई PoS मशीन की एवं लागत पुनर्भरण की सूचना उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया. साथ ही बताया कि लागत का पुनर्भरण दिसम्बर 2017 तक ही संभव है. **(कार्यवाही: क्षेत्रीय कार्यालय, नाबार्ड, राजस्थान)**

Installation of ATMs at Gram Panchayat level

सहायक महाप्रबंधक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि अतिरिक्त निदेशक, संचार एवं प्रोद्योगिकी, राजस्थान सरकार के अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर एटीएम स्थापना करने पर राज्य सरकार द्वारा अपफ्रंट लागत (Upfront Cost) साझा करने के प्रस्ताव के संबंध में केवल आईसीआईसीआई बैंक ने पहल की है तथा अन्य सभी बैंकों से भी इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया.

(कार्यवाही: नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)

Constitution of State Level Financial Inclusion Committee (SLFIC)

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने समिति को अवगत करवाया गया कि वित्तीय समावेशन योजनाओं यथा प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना (PMJJBY), अटल पेंशन योजना (APY), तथा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के कार्यान्वयन/ मॉनिटरिंग हेतु राज्य स्तरीय वित्तीय समावेशन समिति (SLFIC) का गठन किया गया है, जिसकी तीन बैठकों का मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में आयोजित की जा चुकी है. मार्च 2017 तिमाही की बैठक जून तिमाही में आयोजित करने हेतु राज्य सरकार से अनुरोध किया गया.

संयुक्त सचिव, संस्थागत वित्त, राजस्थान सरकार, ने एसएलबीसी से अनुरोध किया है कि बैठक शीघ्र करवाने के अनुरोध के साथ एक पत्र मुख्य सचिव, महोदय को प्रेषित करावें

(कार्यवाही: संस्थागत वित्त विभाग, राजस्थान सरकार एवं एसएलबीसी राजस्थान)

राज्य स्तरीय कार्यान्वयन समिति - आरसेटी

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने अवगत करवाया कि राज्य स्तरीय समिति, आरसेटी का गठन किया जा चुका है तथा इसकी द्वितीय बैठक दिनांक 27.04.2017 को आयोजित की गयी जिसके कार्यवृत एसएलबीसी की बैठक के टेबल एजेंडा में समिति को प्रस्तुत किये गये है.

<u>स्टेण्ड अप इण्डिया योजना की राज्य स्तरीय कार्यन्वयन समिति का गठन</u>

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि स्टेण्ड अप इण्डिया योजना के प्रभावी रूप से क्रियान्विति हेतु राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति का गठन के आदेश राज्य सरकार ने दिनांक 22.08.2016 को जारी कर दिये हैं. समिति में सदस्य के रूप में दो विधायकों जिनमें एक अनुसूचित जाति/अनूसूचित जन जाति श्रेणी एवं एक महिला का नाम मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा नामित किया जाना प्रतीक्षित है. समिति की प्रथम बैठक का आयोजन भी उपरोक्त नामांकन के उपरांत किया जाना प्रस्तावित है.

(कार्यवाही: संयुक्त शासन सचिव, संस्थागत वित्त, राजस्थान सरकार)

<u>अटल पेंशन योजना (APY)</u>

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि PFRDA द्वारा दिये गए अटल पेंशन योजना के तहत मार्च 2017 तक कुल लक्ष्य 457840 के सापेक्ष में 205451 उपलब्धि रही है जो लक्ष्य का 44.87% है. वर्ष 2017-18 के लिए अटल पेंशन योजना के लक्ष्य पूर्व की भांति ही आवंटित किए गये है एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रयास करने हेतु समस्त बैंकों से अनुरोध किया.

(कार्यवाही: नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)

<u>Agenda No. 4</u>

<u>Doubling of Farmer's Income by 2022</u>

महाप्रबंधक, नाबार्ड ने समिति को बतलाया कि कृषकों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने की माननीय प्रधानमंत्री की घोषणा की अनुपालना में विभिन्न पैरामीटर के बेंचमार्क निर्धारित कर दिये गए हैं एवं बेंचमार्क पर हुयी प्रगति की समीक्षा के लिए प्रारूप उनके स्तर पर तैयार किया जा रहा है. इस संबंध में नाबार्ड द्वारा 10 Measurable Indicators तैयार कर सदन के समक्ष प्रस्तुत किए जो निम्नानुसार है :-

1. Credit Intensity
2. Coverage of Short Term credit requirements

3. Capital formation in agriculture
4. MF/MF inclusion/Coverage
5. Improvement in production on agri and allied sectors and reduction in yield gap
6. Improvement in Irrigation status
7. Risk coverage in agriculture
8. Growth Prices/Terms of Trade/assured price
9. Improvement in other income
10. Overall Impact

महाप्रबंधक, नाबार्ड ने बताया कि इन Measurable Indicators की समय समय पर प्रगति की समीक्षा हेतु विभिन्न विभागों से डेटा वांछनीय होगें. इन विभागों से डेटा नियमित अंतराल पर उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध करते हुए यह भी कहा कि नाबार्ड द्वारा शीघ्र ही संबन्धित विभागों को डेटा के संबंध में पत्र भी लिखा जाएगा. अगर विभाग को वांछनीय डेटा उपलब्ध करवाने में कोई समस्या है तो वो नाबार्ड को अवगत करवा सकता है.

(कार्यवाही: नाबार्ड एवं नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)

<u>प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)</u>

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी 2016-17 के पोर्टल पर अद्यतन स्थिति निम्नलिखित हैं :-

- KCC वार सृजित पॉलिसी -16,99,588
- फसलवार सृजित पॉलिसी - 30,73,434
- बीमित क्षेत्र - 28.92 लाख हेक्टेयर
- बल्क अपलोडिंग संभाव्य पॉलिसी - 9,28,704
- बीमित फसल बीमा राशि रू - 4,623.92 करोड़

<u>Strengthening of Negotiable Warehouse Reciepts (NWRs) by WDRA</u>

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने समिति को अवगत करवाया कि NWR के पेटे बैंकों ने वर्ष 2016-17 की चतुर्थ तिमाही में 182 इकाईयों को ऋण राशि रू 132.76 करोड़ का वितरण किया है एवं 31 मार्च 2017 को 392 इकाइयों में ऋण राशि रू 248.81 करोड़ बकाया है.

<u>वसूली (Recovery)</u>

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने समिति को अवगत करवाया कि मार्च 2017 तक सभी बैंकों का कुल NPA 3.02% रहा है. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 3.85% एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको में 5.81% सकल NPA है एवं बैंकों की गैर-निष्पादित आस्तियों विशेषकर सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के ऋणों में लगातार हो रही वृद्धि की दशा में राज्य सरकार से बैंक ऋण वसूली हेतु समुचित सहयोग हेतु अनुरोध भी किया गया.

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने राज्य सरकार से राजस्थान कृषि ऋण संक्रिया (कठिनाई का निवारण) अधिनियम, 1974 एवं राजस्थान कृषि साख प्रचलन (कठिनाई एवं निवारण) नियम (रोडा एक्ट), 1976 के प्रावधानों के तहत जिला कलेक्टर्स को राजस्व कर्मचारियों के सहयोग से बकाया बैंक ऋणों की वसूली के लिए प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किये जाने का पुनः अनुरोध किया.
(कार्यवाही: प्रमुख शासन सचिव, आयोजना, राजस्थान सरकार एवं विशिष्ट शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार)

<u>एजेण्डा क्रमांक - 5</u>
<u>राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)</u>

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने समिति को अवगत करवाया कि मार्च 2017 तिमाही तक योजना के तहत 68586 SHGs गठित किए गये हैं तथा 57686 SHGs को बैंक लिंकेज व 23976 SHGs को क्रेडिट लिंकेज किया जा चुका है. इसी क्रम में पिछड़े जिलों यथा बाड़मेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं झालावाड़ में 7365 SHGs गठित किए गये हैं तथा 7336 SHGs को बैंक लिंकेज व 4443 SHGs को क्रेडिट लिंकेज किया गया है ।

मुख्य परिचालन प्रबन्धक, राजीविका ने बताया कि सचिव, ग्रामीण विकास, भारत सरकार की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि के लिए बैंकों के कार्य की प्रशंसा की एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) योजना के तहत निम्नानुसार कार्यवाही के लिए अनुरोध किया :

- स्वयं सहायता समूह (SHG) को दुबारा ऋण (Repeat Linkage) प्रदान किया जा रहा है उन एसएचजी की ऋण की मात्रा में बढ़ोतरी के लिए बैंक शाखाओं को आवश्यक निर्देश प्रदान करें.

- स्वयं सहायता समूह (SHG) के खराब ऋण खातों का विवरण उनके विभाग को नियमित अंतराल पर उपलब्ध करवाएं जिससे उन खातों में वसूली की कार्यवाही विभाग द्वारा करवायी जा सके.
- स्वयं सहायता समूह (SHG) के बचत खाता खोलने के बैंक शाखाओं को निर्देश प्रदान करें.
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत वर्ष 2017-18 के लिए राशि रू 595 करोड़ के लक्ष्य निर्धारित किये गए है जिनको प्राप्त करने के लिए बैंक कार्ययोजना बनाए.

महाप्रबंधक नाबार्ड ने बताया कि एसएचजी को डिजिटल मोड पर लाने के लिए ई-शक्ति कार्यक्रम चलाया गया है. गत वर्ष राजस्थान के 2 जिलों को शामिल किया गया था एवं चालू वित्त वर्ष में राजस्थान के 10 जिलों को और शामिल किया गया है जिसके तहत एसएचजी की सभी गतिविधियां ऑनलाइन रहेंगी उन गतिविधियों को बैंकर्स देख सकते है एवं गहन निगरानी भी रख सकते है.

<u>राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM)</u>

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि **राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM)** वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंतर्गत राज्य में 3425 को लाभान्वितों को ऋण उपलब्ध करवाया गया है एवं 8354 लंबित आवेदन पत्रों को अविलंब निस्तारित करने हेतु बैंकों से आग्रह किया गया. **(कार्यवाही: नाबार्ड एवं नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)**

<u>प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)</u>

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने पीएमईजीपी पोर्टल से प्राप्त सूचना के आधार पर योजनान्तर्गत 241 इकाइयों में 8 करोड़ रू का अनुदान केवीआईसी के स्तर पर लंबित है जिसको बैंक शाखाओं को शीघ्र उपलब्ध करवाने हेतु राज्य निदेशक, केवीआईसी, भारत सरकार से अनुरोध है.

(कार्यवाही: केवीआईसी, राजस्थान)

<u>Special Central Assistance Scheme SC/ST</u>

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने समिति से आग्रह किया कि योजना के 29088 लोगों को ऋण उपलब्ध करवाने के लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 11184 प्रार्थियों को ऋण उपलब्ध करवाया

गया है जो लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 38.45% उपलब्धि है. सभी बैंकों से वर्ष 2017-18 के लिए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयास के लिए अनुरोध किया.

(कार्यवाही: नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)

<u>प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)</u>

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने समिति को अवगत करवाया कि मुद्रा योजना में वित्तीय वर्ष 2016 -17 के लक्ष्य 4950 करोड़ रू के सापेक्ष 31 मार्च 2017 तक 5865 करोड़ रू के ऋण बैंकों ने वितरण कर दिये हैं जो कि 118.48% उपलब्धि रही है.

<u>Credit Assistance given to RSETI trainees under MUDRA Scheme</u>

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बैंकों के पास प्रशिक्षित कर्मियों के 4220 संचयी (Cummulative) ऋण आवेदन पत्र एवं राशि रू 14.96 करोड़ स्वीकृत किये जा चुके है एवं 3814 विचाराधीन ऋण आवेदनों का नियमानुसार शीघ्र निस्तारण किये जाने का बैंकों से अनुरोध किया.

<u>भामाशाह रोजगार सृजन योजना (BRSY)</u>

उपनिदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार ने बताया कि भामाशाह रोजगार सृजन योजना (BRSY) राज्य के लक्ष्य 11000 ईकाई को वित्तपोषण करने के रखे हैं एवं जिसके पेटे 14,341 आवेदन पत्र विभाग द्वारा प्रायोजित कर बैंकों को भेजे गये हैं जिसमें से केवल 9589 आवेदन पत्रों में ही ऋण स्वीकृति की कार्यवाही की गई है तथा लगभग 7046 आवेदन पत्र बैंक शाखाओं में लंबित हैं जिसमें एसबीआई, बीओबी, एसबीबीजे, पीएनबी, बीआरकेजीबी एवं आरएमजीबी प्रमुख हैं तथा जिसकी सूचना पूर्व में एसएलबीसी के द्वारा सभी बैंकों को उपलब्ध करवा दी गई है. उन्होनें लंबित आवेदन पत्रों का निस्तारण करने हेतु अनुरोध किया एवं मुद्रा ऋण योजना के तहत ग्रीन फिल्ड प्रोजेक्ट को प्रदत्त ऋणों को बीआरएसवाई योजना के तहत ब्याज अनुदान हेतु लाभान्वित किया जा सकता है एवं इसकी सूचना जिला उद्योग केन्द्रों को उपलब्ध कराने का आग्रह किया.

<u>स्टेण्ड अप-इण्डिया (SUI)</u>

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि योजनान्तर्गत राज्य के बैंकों को आवंटित 13430 के लक्ष्य के सापेक्ष 1638 उद्यमियों को लाभान्वित किया गया है. बैंकों से

आग्रह किया कि उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस कार्ययोजना के साथ क्रियांविति करावें.

एजेण्डा क्रमांक - 6

Rural self Employment Training Institute (RSETI)

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि राज्य में 35 RSETI/RUDSET संचालित हैं एवं वर्ष 2016-17 की मार्च 2017 तिमाही में आरसेटी संस्थानों द्वारा 6733 प्रार्थियों को प्रशिक्षित कर उनमें से 2964 व्यक्तियों को व्यवस्थापित किया गया है. राज्य में सभी आरसेटी की समेकित व्यवस्थापन दर 69.42% रही है, जिनमें से 40.59% लोगो को बैंक ऋण से व्यवस्थापित किया गया है.

RSETI- Status Building Construction (Summary)

सहायक महाप्रबंधक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि आरसेटी संस्थानों के 15 भवन निर्माणाधीन हैं एवं 11 जिलों में भूमि आवंटन के प्रकरण विभिन्न स्तरों पर विचाराधीन हैं. राज्य सरकार से इन प्रकरणों पर शीघ्र निर्णय लिए जाने का अनुरोध किया गया.

Progress under RBI's Model Scheme for Financial Literacy Centers

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि विभिन्न बैंकों ने 68 FLCs स्थापित किए हैं जिनके माध्यम से मार्च 2017 तिमाही में (पार्ट ए) लक्षित समूह के लिए 929 एवं पार्ट बी के लिए 1060 विशेष कैंप आयोजित किए गए हैं.

एजेण्डा क्रमांक - 7

Performance under CGTMSE

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने योजनान्तर्गत राज्य में मार्च 2017, तिमाही तक 13392 उधमियों को एवं राशि 529 करोड़ रू को कवर किये जाने से समिति को अवगत करवाया एवं योजनान्तर्गत बैंकों से कवरेज बढ़ाने का आग्रह किया.

एजेण्डा क्रमांक - 8

शिक्षा ऋण (Education Loan)

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 में राज्य में 12100 छात्रों को राशि रू 336.31 करोड़ के शैक्षिक ऋण उपलब्ध करवाए गए हैं जिनमें कुल बकाया राशि रू 1665.01 करोड़ होने से अवगत करवाया.

एजेण्डा क्रमांक - 9

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) ने प्रधानमंत्री आवास योजना में राजस्थान में मार्च 2017 तक 356 इकाइयों को 4.30 करोड़ रू का ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाने से अवगत करवाया है एवं बैंको से प्राप्त सूचना के आधार पर हुड़को (HUDCO) ने प्रधानमंत्री आवास योजना में राजस्थान में मार्च 2017 तक 131 इकाइयों को 1.01 करोड़ रू का ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया है. उन्होने बैंको से आग्रह किया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस योजना के तहत लाभान्वित करने का प्रयास करें.

(कार्यवाही: नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)

टेबल एजेंडा (Table Agenda)

Minutes of Special Meeting of SLBC Conducted on 01.05.2017

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि दिनांक 01.05.2017 को आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति राजस्थान की उपसमिति बैठक के कार्यवृत टेबल एजेंडा में रखने से सूचित किया एवं बैठक के कार्यबिन्दु पर बैंकों से अनुपालना करने के लिए अनुरोध किया.

Ground Level Target received from NABARD for the state for FY 2017-18

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि भारत सरकार ने Ground Level Credit for Agriculture के वर्ष 2017-18 के लिए पूरे भारतवर्ष के राशि रू 10,00,000 करोड़ के लक्ष्य निर्धारित किए है. इसमें राजस्थान राज्य के लिए राशि रू 76050 करोड़ के लक्ष्य निर्धारित किए गये है.

Minutes of 2nd meeting of State Level Committee on RSETIs- Rajasthan conducted on 27.04.2017

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि दिनांक 27.04.2017 को आयोजित State Level Committee on RSETIs की बैठक के कार्यवृत टेबल एजेंडा में रखने से सूचित किया एवं बैठक के कार्यबिन्दू पर अनुपालना करने के लिए आरसेटी संस्थानों एवं उनके प्रयोजक बैंकों से अनुरोध किया.

HUDCO/NHB Progress under PMAY as on 31.03.2017

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एनएचबी एवं हुड़को द्वारा उपलब्ध कारवायी गई CLSS की बैंकवार सूचना टेबल एजेंडा में रखने से सूचित किया.

एस.सी.ए. एवं एस.टी. पोप योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बी.पी.एल. परिवारों को लाभान्वित करने के संबंध में

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि विशेष केंद्रीय सहायता योजनान्तर्गत (SCA) एवं अनुसूचित जनजाति पोप योजना (STPOP) के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बी.पी.एल. परिवारों को लाभान्वित करने के लिए वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में राशि रू 20,000/- से बढ़ाकर राशि रू 54,300/- तथा शहरी क्षेत्र में राशि रू 21,400/- से बढ़ाकर राशि रू 60,120/- कर दी गयी है.

दीन दयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) योजनान्तर्गत शहरी गरीब परिवारों को लाभान्वित करने के संबंध में

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) योजनान्तर्गत शहरी गरीब परिवारों को लाभान्वित के लिए वार्षिक आय राशि रू 1 लाख से बढ़ाकर राशि रू 3 लाख कर दी गई है एवं राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) योजनान्तर्गत ऐसे शहरी गरीब परिवार जिनकी वार्षिक आय राशि रू 3 लाख तक है, उन्हे DAY-NULM अंतर्गत बी.पी.एल. परिवारों की तरह लाभान्वित किया जावेगा.

अध्यक्ष, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक ने समिति को अवगत करवाया कि ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा ग्राम पंचायत को भुगतान करने के लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है जिसका परीक्षण सार्वजनिक क्षेत्र के चार बैंकों में किया जा रहा है एवं जिला प्रशासन द्वारा निर्देश दिये जा रहे है कि उक्त चारो बैंकों में ग्राम पंचायतों के खाते खोले तथा उन्ही

खातों में ग्राम पंचायतों की निधी स्थानांतरित कि जावेगी एवं अन्य बैंकों में खोले गए खातों को बंद करें. इस संबंध में ग्रामीण बैंकों को भी उक्त व्यवस्था में शामील करने का राजस्थान सरकार से एवं भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड को हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया.

(कार्यवाही: ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार)

मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को निम्नानुसार निर्देश प्रदान कर उस पर कार्यवाही करने को कहा :

- मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि जिलों में आयोजित डीसीसी/डीएलआरसी/बीएलबीसी बैठकों में बैंकों के सक्षम अधिकारियों द्वारा सहभागिता नहीं की जाती है अथवा कनिष्ठ अधिकारी को पूर्ण सूचनाओं एवं तैयारियों के अभाव में सहभागिता करने के लिए प्रतिनियुक्त कर दिया जाता है. जो सर्वथा अनुचित है. उन्होनें बैठक के दौरान जिला/ब्लॉक स्तरीय बैठकों में बैंक अधिकारियों की सहभागिता के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों को दोहराते हुए सभी बैंकों के नियंत्रकों को निर्देशित किया कि वह यह सुनिश्चित करें कि उनके अधीन शाखा प्रबन्धकों/जिला समन्वयकों द्वारा जिलें में आयोजित डीसीसी/डीएलआरसी/बीएलबीसी आदि बैठकों में सम्पूर्ण सूचनाओं एवं तैयारियों के साथ सहभागिता की जायें.
- मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने एफ़एलसीसी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि बैंकों द्वारा संचालित एफ़एलसीसी में बैंकों द्वारा समुचित आधारिक संरचना)Infrastructure) उपलब्ध नहीं करवाया गया है जिसकी वजह से जिस अवधारणा के साथ FLCC की स्थापना की गयी थी वह पूर्ण नहीं हो पा रही है अतः सभी बैंकों को निर्देशित किया कि वह शीघ्र FLCC को समुचित आधारिक संरचना (Infrastructure) उपलब्ध करवाये.
- मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि जिले की आर्थिक प्रगति एवं समग्र विकास में अग्रणी जिला प्रबन्धक का महत्वपूर्ण योगदान रहता है. अग्रणी जिला प्रबन्धक के पास आधारिक संरचना एवं समुचित स्टाफ के अभाव में समग्र विकास से संबंधित कार्ययोजना लक्ष्य की प्राप्ति से संबंधित/कार्यवाही को प्रभावित करती है. इस संबंध में बैंक नियंत्रकों के स्तर से अग्रणी जिला कार्यालय को समुचित आधारिक संरचना)Infrastructure) यथा वाहन, लेपटोप, फर्नीचर इत्यादि तथा सक्षम एवं समुचित स्टाफ उपलब्ध करवाने के निर्देश प्रदान किये.

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि शाखा खोलने एवं एटीएम स्थापित करने के प्रस्ताव के संबंध में वीआईपी संदर्भ एसएलबीसी को प्राप्त हुए है. उक्त वीआईपी संदर्भ को निस्तारण हेतु सभी बैंकों को प्रेषित किये है जो विभिन्न बैंकों के स्तर पर

लंबित है. साथ ही उन्होनें शाखा खोलने एवं एटीएम स्थापित करने की सर्वे रिपोर्ट मय टिप्पणी के एसएलबीसी को शीघ्र प्रेषित करने का अनुरोध किया.

(कार्यवाही: नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)

उप महाप्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा श्री संदीप भटनागर द्वारा समिति में पधारे मंचासीन अतिथियों, केंद्र व राज्य सरकार के अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड के अधिकारी सहित सभी बैंकर्स को धन्यवाद ज्ञापित किया गया.

****